राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 06 / 2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री तेजकरण पंवार निवासी वार्ड नम्बर 7, स्कूल के पास, पोकरण		अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय :: **दिनांक : 31 जनवरी, 2017**

01. अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के द्वार चाही गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

02. अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा अपीलार्थी क सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में किन कारण से उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसका कारण स्पष्ट करें एवं क्यों न इस अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिक अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थी को भी सूचित कि गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आपको वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आप यदि कोई तथ्य प्रस्तुत कर चाहे तो प्रस्तुत करें।

03. अपीलार्थी अनुस्थित। प्रत्यर्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। जिसमें य उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर से अन्तरित होव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी न्यायिक ने प्रतिवे दिनांक 29 नवम्बर, 2016 से अवगत कराया कि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है व सूचना के संबंध में उपख अधिकारी पोकरण से सूचना प्राप्त की जावें। जिस पर आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी पोकरण स्थानान्तरित कि गया। उपखण्ड अधिकारी पोकरण ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 26.12.2016 से अपीलार्थी को सूचना कार्यालय में उपल नहीं होने के संबंध में अवगत कराया गया। इस आलोक में अपील में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है अपील पत्रावलित किये जाने योग्य है।

04. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अस्वीकार की जाती है।

05. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को निर्णय किया गया।

06. निर्णय की प्रतियाँ उभय पक्ष के साथ–साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर व उपखण्ड अधिकारी पोकरण को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर